संख्या-9730/अड़तीस–2–2010–2(106)डी/2008

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0–2 लखनऊः दिनांक 29 जुलाई,2010

विषयः वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के विभिन्न श्रेणी के पदों के संबंध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के संबंध में वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गयी संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252/दस–54(एम)/2008टीसी, दिनांक 7–2–2009 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2– उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 7 फरवरी, 2009 के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विभिन्न पदों के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित वर्तमान वेतनमानों को दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–5 व 6 के अनुसार सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी,2006 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से अनुमन्य किये जाने एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का नकद भुगतान तात्कालिक प्रभाव से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अवशेष वेतन एरियर के भुगतान के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3– उक्त कार्मिकों (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को छोड़कर) का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दि0 01 जनवरी, 2006 को राजकीय कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा परन्तु ऐसे कार्मिकों जिनके लिए 50प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन में परिवर्तित नही किया गया है, के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि को बैण्ड वेतन माना जायेगा। उक्त निर्धारित बैण्ड वेतन एवं सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।

4– राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपने मूल विभाग/ अधिष्ठान के पद के संदर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

.....2/.....

5— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत होगी तथा वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जुलाई रखी जायेगी।

6— पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त कार्मिकों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश राज्य कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित दरों/व्यवस्था के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में पुनरीक्षित वेतन संरचना के वास्तविक लाभ के भुगतान की तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। संकल्प दिनांक 07 फरवरी, 2009 के अनुसार सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

7— जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के ऐसे पद धारक जिन्हे अभिकरण कर्मियों हेतु लागू की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति/उच्च वेतनमान 01 जनवरी, 2006 के पूर्व अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उक्त वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य होगा परन्तु ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त लाभ 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने की तिथि के बाद वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है, उन्हें उक्त लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य नही होगा। इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने के बाद की तिथि से अनुमन्य हुई हो, तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी वेतनवृद्धि का लाभ देय नही होगा।

8— पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ उन्हीं पदधारकों को अनुमन्य होगा जो नियमित चयन के आधार पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये होगें। शेष पदधारकों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विनियमित करने के उपरान्त ही पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ उसी तिथि से अनुमन्य होगा, जैसा कि नियमित पदधारकों के संबंध में उपर्युक्तानुसार निर्णय लिया गया है।

9—जिन पदों का उल्लेख इस शासनादेश के संलग्नक में नही है, उनके बारे में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के आदेश वित्त विभाग की सहमति से अलग से प्रसारित किये जायेगें।

10— जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के संबंध में लिये जाने वाले निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

11— जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को यदि राजकीय कर्मचारियों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है, तो उसका औचित्य बताते हुए उसे जारी रखने के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

12— जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दि0 01.1.2006 से दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि आने वाले व्यय को विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य धनराशि से ही वहन करेगें और किसी योजना के कार्य मद की धनराशि को इस अधिष्ठान व्यय के लिए स्थानान्तरित नही किया जाएगा तथा पुनरीक्षित वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग शासन से नही करेगें एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना का

.....3/.....

लाभ संबंधित जनपद के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में लागू किये जाने से पूर्व वह अभिकरण की शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर लेगें।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0—388/10—2010 दिनांक 28.07.10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव

संख्या-ए-730(1)/अड़तीस—2—2010, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त(वेतन आयोग) अनु0—1/2 (तीन प्रतियों में)
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—2
5. वित्त (सामान्य) अनु0—1/2
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0, वित्त विभाग।
7. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

28/07/10

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव

शासनादेश संख्या-9-730 /38-2-2010, दिनांक 29/7/10 का संलग्नक।

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (दिनांक 01.01.06 से पूर्व)	पुनरीक्षित वेतन संरचना (दिनांक 01.01.06 से)		
			वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान (रू0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
1	2	3	4	5	6
1	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	कनिष्ठ लेखा लिपिक / कनिष्ठ लिपिक / टंकक / वाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900
3	सहायक लेखाकार / ड्राफ्टमैन / आशुलिपिक	4000-100-6000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400
4	अवर अभियन्ता / अन्वेषक तकनीकी / लेखाकार / कार्यालय अधीक्षक / प्रधान लिपिक	5000-150-8000	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
5	संख्या सहायक	5500-175-9000	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
6	सहायक अभियन्ता / परियोजना **अर्थशास्त्री** / सहायक परियोजना अधिकारी / अपर परियोजना निदेशक	8000-275-13500	वेतन बैण्ड-3	15600-39100 (यदि प्रतिनियुक्ति पर हों, तो अपने संवर्ग के अनुसार)	5400
7	वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	10000-325-15200 (अपने संवर्ग के अनुसार)	वेतन बैण्ड-3	15600-39100 (अपने संवर्ग के अनुसार)	6600
8	परियोजना निदेशक	10000-325-15200 (अपने संवर्ग के अनुसार)	वेतन बैण्ड-3	15600-39100 (अपने संवर्ग के अनुसार)	6600

29/07/10
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव